न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 46 / 2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–

1. श्याम सुन्दर पुत्र तोला राम जाति खत्री निवासी शिव जिला बाड़मेर (मैसर्स तोलाराम भैराराम, शिव बाड़मेर का मालिक)
2. बंशीधर वडेरा पुत्र रिखबदास वडेरा जाति जैन निवासी हमीरपुरा, बाड़मेर (मैसर्स आर0बी0 प्रोडेक्ट्स, कृषि मण्डी, किशनपुरा बाड़मेर का मालिक)
3. आनन्द हुण्डीया सोल प्रोप्राइटर मैसर्स अरिहन्त घी एजेन्सी, घासामण्डी, दिवानों की हवेली, घास मण्डी, जोधपुर का मालिक
4. हितेश केशवभाई पंसुरेया पुत्र केशवभाई पंसुरेया नोमिनी परसरन ऑफ M/s Fable Food Products Pvt Ltd, HO 302, Shapath I, Opp. Rajpth Club, S.G. Highway, Ahmedabad
5. प्रशांत बल्लभभाई वडोदरीया डारेक्टर ऑफ M/s Fable Food Products Pvt Ltd, HO 302, Shapath I, Opp. Rajpth Club, S.G. Highway, Ahmedabad
6. बल्लभभाई सावजीभाई वडोदरीया डारेक्टर ऑफ M/s Fable Food Products Pvt Ltd, HO 302, Shapath I, Opp. Rajpth Club, S.G. Highway, Ahmedabad
7. नितिन बल्लभभाई वडोदरीया डारेक्टर ऑफ M/s Fable Food Products Pvt Ltd, HO 302, Shapath I, Opp. Rajpth Club, S.G. Highway, Ahmedabad

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:04 IST
Reason: SelfAttested

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
3. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 27.07.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 18.06.2019 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स तोलाराम भैराराम, शिव बाड़मेर** का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड आबाद (500 ग्राम)** जो कि एक कार्टून में अलग–अलग मात्रा में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **कुल चार पैकेट घी ब्राण्ड आबाद (500 ग्राम)** वास्ते नमूना क्रय की जाकर नमूना संख्या **पी–1038** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड आबाद (500 ग्राम)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड आबाद (500 ग्राम)** का नमूना **अवमानक (Sub-statndard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 रिटेल विक्रेता है जो आये माल को आगे विक्रय करता है। उसने ने उक्त उत्पाद के गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं की और न ही मानक में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:04 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

से छेड़छाड़ की है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **04.07.2019** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई है। अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि वह रिटेल विक्रेता है जो आये माल को आगे विक्रय करता है उसने उक्त उत्पाद के गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं की है और न ही मानक में किसी प्रकार से छेड़छाड़ की है। शेष अप्रार्थीगण की बावजूद सूचना अनुपस्थिति उनकी मूक सहमति एवं स्वीकारोक्ति है। अप्रार्थी संख्य 1 द्वारा अपने प्रतिष्ठान से विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता एवं मानकता का दायित्व उसका रहेगा तथा प्रस्तुत जवाब/प्रतिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ठोस एवं तथ्यपरक प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला ... बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 पर **रूपये 25,000/–** का एवं शेष अप्रार्थीगण संख्या 2 से 7 पर संयुक्त रूप से **रूपये 2,00,000/–** जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.08.04 10:31:04 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर